23 FEB 2020

Date of order or proceeding

आवेदक/सुपुदुर्गीदार योगेश पटेल पिता सुरेश पटेल निवासी भगवानपुरा सह श्री अल्ताफ शेख अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री दांगी ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

प्रकरण सुपुर्दगीनामा आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र छैगांवमाखन से अपराध कमांक 57/20 धारा 279,337 भादस केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त हुई।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन अंतर्गत धारा 457 दप्रस पर उभयपक्ष को सुना गया।
केस डायरी का अवलोकन किया गया।
केस डायरी अनुसार थाना छैगांवमाखन द्वारा अपराध कमांक 57/20 धारा 279,337 भादस में अभियुक्त दीपक के आधिपत्य से टवेरा कार कमांक एम0पी0–12–बीसी–1432 मय रजिस्ट्रेशन, बीमा सहित जप्त किया जाना बताया गया है। दस्तावेज के अवलोकन से आवेदक जप्तशुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी होना प्रतीत होता है। जप्तशुदा वाहन के लिए आवश्यक सभी विधिक दस्तावेज होना भी प्रतीत होता है। जप्तशुदा वाहन यदि अधिक समय तक बिना देखरेख के खुली अवस्था में खड़ा रहा तो उसके मूल्य में कमी होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में जप्तशुदा वाहन मय दस्तावेज के आवेदक को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आवेदक योगेश पटेल की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 457 द.प्र.स. स्वीकार कर आदेश दिया जाता है, कि यदि आवेदक रूपये 4,00,000/– (अक्षरी चार लाख रूपये) का सुपुर्दगीनामा इस शर्त के साथ प्रस्तुत करे, कि वह जप्तशुदा वाहन के बाहय व आंतरिक स्वरूप में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन नहीं करेगा, रंग रोगन नहीं करेगा, अन्य किसी को विकय अथवा हस्तान्तरण नहीं करेगा, जब भी न्यायालय आदेश देवेंगा स्वयं के व्यय पर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तो उसे जप्तशुदा टवेरा कार कमांक एम0पी0–12–बीसी–1432 मय चॉबी व कागजात के सुपुर्दगीनामे पर आवेदक को दी जावे।

(कपिल वर्मा)
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय
खण्डवा म0प्र0

पुनश्चः

आदेशानुसार आवेदक/सुपुदुर्गीदार योगेश पटेल पिता सुरेश पटेल उम्र–33 वर्ष निवासी भगवानपुरा थाना पिपलोद

Order Sheet [Contd]

II-156
C.J.

Case No. .... of 20 ....

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	जिला खंडवा की ओर से सुपदर्गीनामा कीमती रुपये 4,00,000/- (चार लाख रूपये) का पेश किया गया। आवेदक/सुपुर्ददार की पहचान श्री अल्ताफ शेख अधिवक्ता द्वारा की गई। सुपुर्दगीनामा तस्दीक उपरांत स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा वाहन टवेरा कार कमांक एम0पी0-12-बीसी-1432 रिलिज आदेश जारी हो। केस डायरी पावती लेकर वापस लौटाई जाए। पत्रावली अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण संलग्न हो।। (कपिल वर्मा) न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय खण्डवा म0प्र0	यो0गो0र0